संख्या 03 /6–पु0–15 / 2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग–15 दिनांक : 08 जनवरी, 2018

विषय: अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन की धनराशि वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश 118 / 2016 / 1405 / 26–3–2016–4(256) / 1994 दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अधीन प्रख्यापित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम–2016 के आधार पर प्रदेश में अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि दिये जाने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषण के उपरान्त तथा न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के उपरान्त वितरित की जाने वाली आर्थिक सहायता का निर्धारण किया गया है।

2 तत्क्रम में दिनांक 31.10.2017 तक उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत पीड़ितों को देय आर्थिक सहायता की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कुल 10552 मामलों जिनमें आर्थिक सहायता देय थी, में पुलिस के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को 8207 (78 प्रतिशत) मामलों के प्रस्ताव भेजे गये हैं तथा 2326 (22 प्रतिशत) मामलों में अभी प्रस्तावों का प्रेषण अवशेष है। प्रेषित मामलों में से 3227 (39.3 प्रतिशत) में ही अभी सहायता राशि का वितरण हुआ है तथा 4980 (60.7 प्रतिशत) मामलों में आर्थिक सहायता का वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से किया जाना अवशेष है। जनपदवार आंकड़े संलग्न हैं।

3– आंकड़ों की समीक्षा से अधिकतर मामले (884) लखनऊ परिक्षेत्र में वितरण हेतु लम्बित हैं। इसके बाद फैजाबाद परिक्षेत्र में 618, गोरखपुर परिक्षेत्र में 397 तथा बरेली परिक्षेत्र में 866 मामले लम्बित है।

4 यदि जनपदवार स्थिति देखी जाये तो कतिपय जनपद ऐसे हैं जिसमें अभी किसी भी मामले में कोई सहायता राशि वितरित नहीं हुई है। इनमें गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलिया, सीतापुर, एटा, हाथरस, बरेली, बदायूँ, रामपुर सम्मिलित हैं। कई परिक्षेत्र ऐसे हैं जहाँ समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव प्रेषण हेतु काफी मामले लम्बित हैं इनमें गोरखपुर परिक्षेत्र में 391, वाराणसी परिक्षेत्र में 364, लखनऊ परिक्षेत्र में 292 तथा इलाहाबाद परिक्षेत्र में 268 मामले लम्बित है। अतः काफी सुधार की आवश्यकता है।

5– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपदों को पर्याप्त सहायता राशि आवंटित की गई है तथा पूर्व में टीआर-27 से आहरित कर राहायता राशि वितरित करने पर लगी

सेक भी समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 3216/26-3-2017 4(97)/93 दिनांक 17-11-2017 द्वारा समाप्त कर दी गई है। अतः यह अपेक्षित है कि जिला स्तर पर लम्बित मामलों के आंकड़ों का मिलान समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से करा लिया जाये तथा लम्बित मामलों में सहायता राशि का वितरण नियमानुसार शीघ्रता से करा दिया जाये।

संलग्नक-**यथोपरि।**

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या - (1)/6-पु0-15/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 - प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 - पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

3 - अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि सहायता राशि वितरण की नियमित समीक्षा करते हुए नियमावली के प्राविधानानुसार समयान्तर्गत सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित करायें तथा प्रत्येक माह आंकड़ों को संकलित कर शासन को भी उपलब्ध करायें।

4 - समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, उ0प्र0।

5 - समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

फैक्स

संख्या– _ _ / 6–पु0–15 / 2017

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15

लखनऊःदिनॉक : जनवरी,2018

विषयः प्रदेश के 17 जनपदो में संचालित आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–7059 / 60–3–2017 दिनांक 29–12–2017 एवं 5041 / 60–3–2017 दिनांक 28–11–2017 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 17 जनपदों में संचालित आशा ज्योति केन्द्रों की महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी पर सी0सी0टी0एन0एस0 नोड उपलब्ध कराकर आनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि आशा ज्योति केन्द्रो में महिलाओं के लिए एकल खिडकी व्यवस्था के रूप में पीडित महिलाओं को सुविधा प्रदान किये जाने के कम में गृह (पुलिस) अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–259–पी0 / छः–पु0–6–2016–300(13) / 16 दिनांक 26–2–2016 एवं पत्र संख्या– 375पी / छः –पु0–6–17–300(13) / 201दिनांक 8 मई,2017 द्वारा 17 जनपदों में संचालित प्रत्येक आशा ज्योति केन्द्र पर न्यूनतम हर समय 1 महिला उप निरीक्षक तथा 2 महिला आरक्षी (24 घंटे अर्थात दिन / रात्रि शिफ्टों में) की तैनाती किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

3– महिलाओं एवं बाल विकास विभाग के उक्त पत्र दिनांक 29–12–2017 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 17 जनपदों (आगरा, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ , गाजियाबाद, वाराणसी, पीलीभीत, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, गोरखपुर, शाहजहॉपुर, झॉसी, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मिर्जापुर एवं बांदा) मे संचालित तथा भविष्य मे अन्य जनपदो में स्थापित होने वाले आशा ज्योति केन्द्रों पर पीडिताओं की शिकायत / एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के संबंध मे सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया हैः–

(1) 17 जनपदों में संचालित तथा भविष्य में अन्य जनपदो में स्थापित होने वाले आशा ज्योति केन्द्रों पर कार्यरत केन्द्र प्रभारियों को सी0यू0जी0 प्रदान किया जाये।

(2) सी0यू0जी0 नं0 के आधार पर सिटिजन पोर्टल सी0सी0टी0एन0एस0 में उनको यूजर बनाया जायें।

(3) यूजर बनाने के उपरान्त शिकायत सेक्सन (complaint module)से पीडिताओं की शिकायत दर्ज की जाय।

(4)आशा ज्योति केन्द्र में प्राप्त शिकायतों को स्कैन कर शिकायत सेक्सन(complaint modul)में अपलोड कर दिया जाये। इस प्रकार पीडिता की दर्ज शिकायत सी0 सी0 टी0 एन0 एस0के माध्यम से सम्बन्धित थाने पर पहुँचाया जाये।

(5) दर्ज शिकायत पर कृत कार्यवाही से सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से ही आशा ज्योति केन्द्र को क्यू मेल से पहुँचाया जाये तथा एफ0आई0आर0 होने के उपरान्त सी0सी0टी0एन0एस0की आईडी बनाकर पीड़िता को एफ0आई0आर0 की प्रति सी0सी0टी0एन0एस0 से डाउनलोड कर उपलब्ध करायी जाये।

4— महिला एव बाल विकास विभाग के उक्त पत्र दिनांक 28—11—2017 में व्यक्त सहमिति के अनुसार 17 जनपदो मे संचालित केन्द्रो पर स्थापित सी0सी0टी0एन0एस0 से संबंधित कम्प्यूटर उपकरण,नेट कनेक्टिविटी एवं आपरेटर की व्यवस्था में निहित व्यय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

कृपया उक्त प्रस्तर—3 में निहित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाए उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी उ0प्र0 लखनऊ।
4— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनय शंकर पाण्डेय)
उप सचिव।